

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/169/2020/एफ0 सी0/2078

दिनांक: 31/12/2020

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के विस्तार के निर्माण हेतु 0.188 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/32572/2018)


महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं। अतः प्रस्तावित समरेखण का संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा स्वयं निरीक्षण कर निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत की जाये:-

1. प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 1 कि०मी० लंबाई में मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रहा है। यदि इसमें कोई violation हुआ है तो उसकी जानकारी प्रस्तुत की जायें।
2. मात्र 0.188 हे० क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनमें अधिकतर 'ओक' प्रजाति के हैं। के०एम०एल० फाईल पर दर्शित जानकारी अनुसार इन वृक्षों को बचा कर भी समरेखण बनाया जा सकता है।
3. गैर वन क्षेत्र (1.7 हे०) में प्रभावित होने वाले वृक्षों की जानकारी भी प्रस्तुत की जायें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)